भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित **प्रश्न सं. 2591**
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह

2591. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र में बीड और शिरडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने हेतु वर्तमान पहुँच का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में सरकार के पास क्या ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं;

(घ) उक्त मिशन, विशेषकर कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से, स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की घरेलू आय बढ़ाने में कितना सफल रहा है;

(ङ) स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की राशि कितनी है और समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं; और

(च) स्वयं सहायता समूहों के बीच ऋण लिंकेज और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में क्षेत्रीय असमानताओं जैसे मुद्दों का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ.चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसे जून, 2011 में शुरु किया गया था। इसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और उन्हें तब तक निरंतर पोषित एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है जब तक कि वे समय के साथ आय में सराहनीय वृद्धि हासिल नहीं कर लेते और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर लेते तथा गरीबी से बाहर नहीं निकल आते। अब तक देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। मिशन

निम्नलिखित चार मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है:

i. ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों का सामाजिक एकीकरण तथा संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण।
ii. ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन
iii. स्थायी आजीविका; और
iv. सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और समन्वय.

(ख) 30 जून 2025 तक, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 745 जिलों के 7145 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है। परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। बीड और शिरडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र का जिलावार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

प्रगति के साक्ष्य का आकलन कई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों से किया जा सकता है, जिन्हें मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के समग्र प्रभाव को समझने के लिए शुरू किया है।

I. विश्व बैंक के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3ie) द्वारा 2019-20 में किए गए डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में सरकारी कार्यकलापों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सुधार को रेखांकित किया गया है। इस अध्ययन में 9 राज्यों - बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश - को शामिल किया गया था। इस मूल्यांकन में लगभग 27,000 उत्तरदाताओं और 5,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल किया गया था। प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

- **आय में वृद्धि:** योजना को लागू करने वाले क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों **की आय में** बेसलाइन की तुलना में **19% की वृद्धि हुई।**
- **ऋण का औपचारिकीकरण: अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता में 20% की गिरावट आई**, जो औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच का संकेत है।
- **बचत वृद्धि:** प्रतिभागियों ने बचत में **28% की वृद्धि** की सूचना दी, जो मजबूत वित्तीय अनुकूलता और संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।
- **कार्यबल भागीदारी:** श्रम बल सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में योजना को लागू करने वाले क्षेत्रों में **द्वितीयक व्यवसायों की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं का अनुपात 4% अधिक था।**
- **सामाजिक योजनाओं तक पहुंच:** लाभार्थी परिवारों द्वारा लाभ उठाए गए सामाजिक कल्याण योजनाओं की संख्या में **6.5% की वृद्धि** हुई (2.8 योजनाओं के आधार की तुलना में), जो सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बेहतर जागरूकता और पहुंच को दर्शाता है।

II. 2024 में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) का मूल्यांकन भी किया गया। अध्ययन में 17 राज्यों, 33 जिलों और 165 गांवों में एसवीईपी के तहत प्रोत्साहित 1,159 नमूना उद्यमों को शामिल किया गया।

- **एसवीईपी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण**: इस कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना है—71% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं—साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में इसकी भूमिका भी उल्लेखनीय है। लगभग 35% उद्यमी अपने एसवीईपी-सहायता प्रदत्त उद्यम शुरू करने से पहले किसी भी आय-उत्पादक गतिविधि में संलग्न नहीं थे, और इनमें से लगभग 74% उद्यम अब घरेलू आय का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं।

III. महिला किसानों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करने के लिए 2024 में एक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन 6 राज्यों के 240 गांवों, 48 ब्लॉकों और 24 जिलों में 2,425 महिला किसानों को शामिल करके किया गया था।

- **महिला किसानों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण:** महिला किसानों के बीच, इस कार्यक्रम के सूचित लाभों में आत्मविश्वास में वृद्धि (48%), निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और श्रम लागत में कमी (32%), कृषि ज्ञान में वृद्धि (40%), और अनाज की अधिक पैदावार (52%) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने वार्षिक आय में वृद्धि में योगदान दिया, जिसमें भाग लेने वाले 18% परिवारों ने वार्षिक आय में 7% से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की।

IV. बैंकों और नियामक निकायों में बीसी सखी मॉडल की व्यापक पहुंच और स्वीकृति और चार वर्षों से अधिक समय तक इसके कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2023 में बीसी सखी मॉडल की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन शुरू किया, जिसका उद्देश्य इसके कार्यान्वयन संरचना, प्रशिक्षण और तैनाती प्रक्रियाओं, प्रदान की गई सेवाओं और बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण समुदायों दोनों पर इसके प्रभाव की जांच करके मॉडल का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना था।

- अध्ययन में पाया गया कि 45% बीसी सखियाँ डिजी-पे सखियों में परिवर्तित हो गई हैं, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में उनकी क्षमता का विस्तार हुआ है। बीसी सखियों की आय के स्तर और उनकी उद्यमशीलता से जुड़ाव के बीच संबंध के बारे में एक रोचक रुझान सामने आया है। 61% से ज़्यादा बीसी सखियाँ पूरी तरह से बैंकिंग

कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अपनी भूमिका से होने वाली आय पर निर्भर हैं। बीसी सखियाँ जो पूरी तरह से बीसी एजेंट के रूप में अपनी भूमिका पर निर्भर हैं, वे इस गतिविधि से उन लोगों की तुलना में अधिक कमाती हैं जो अपने आय स्रोतों में विविधता लाते हैं।

ये परिणाम डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत निरंतर और प्रभावी सहायता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का डेटा-समर्थित प्रमाण देते हैं।

(घ) कृषि क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों को कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों और बेहतर पशुधन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। कृषि सखी और पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित आजीविका सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का एक मजबूत नेटवर्क महिला किसानों को साल भर विस्तार सेवाएं प्रदान करने और मार्गदर्शी सहायता लिए तैनात किया गया है। विशिष्ट उप-क्षेत्रों/वस्तुओं में उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकीकृत कृषि क्लस्टर आवंटित किए जाते हैं जो प्रति क्लस्टर लगभग तीन से पांच गांवों के कार्यकलाप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जून 2025 तक, महिला किसानों के रूप में 4.62 करोड़ एसएचजी सदस्यों को शामिल किया गया है और देश भर में 3.50 लाख से अधिक आजीविका सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जैसे कृषि सखी और पशु सखी तैनात हैं। एकीकृत कृषि क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6,000 क्लस्टर आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को बेहतर कृषि-इनपुट और बाज़ार पहुँच प्राप्त करने में सहायता के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले उत्पादक उद्यमों के साथ-साथ सहकारी और उत्पादक समूहों को देश भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। जून 2025 तक, 1,285 उत्पादक उद्यम (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत 800 एफपीओ सहित) और 1.95 लाख उत्पादक समूह 50 लाख से अधिक ग्रामीण महिला उत्पादकों को कवर कर रहे हैं।

गैर-कृषि क्षेत्र में, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एक उप-योजना, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। 30 जून 2025 तक, 282 ब्लाकों में एसवीईपी के अंतर्गत 3.74 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई। एसवीईपी मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि

71% उद्यमों का स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पास था और लगभग 86% उद्यमियों ने अपनी बचत में वृद्धि की सूचना दी।

(ङ) वर्ष 2013-14 से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ₹ 11.00 लाख करोड़ से अधिक का ऋण (क्रेडिट) लिया गया है, और समय पर एवं पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों द्वारा कोई चुनौती नहीं बताई गई है।

(च) बैंक शाखा में एक 'बैंक सखी' तैनात की जाती है जो स्वयं सहायता समूहों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है और उनके लिए ऋण लिंकेज को सुगम बनाती है। स्वयं सहायता समूहों के ऋण लिंकेज को सुगम बनाने के लिए बैंक शाखाओं में 47,952 बैंक सखियों को तैनात किया गया है। बैंक सखी समुदाय आधारित पुनर्भुगतान व्यवस्था (सीबीआरएम) समिति की सदस्य भी होती हैं। स्वयं सहायता समूहों के ऋण लिंकेज में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 1.76% हैं और यह राज्यों के अनुसार अलग-अलग हैं। डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों को ऋण न चुकाने या देरी से चुकाने की समस्या के समाधान के लिए समुदाय आधारित पुनर्भुगतान व्यवस्था (सीबीआरएम) की अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है। प्रत्येक बैंक शाखा में संबंधित बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक की अध्यक्षता में सीबीआरएम समिति का गठन किया जाता है। सीबीआरएम समिति की बैठक बैंक परिसर में या समिति के सदस्यों द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर महीने में कम से कम एक बार, अधिमानतः पूर्व-निर्धारित दिन पर आयोजित की जाती है।

"एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2591 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार महिला स्वयं सहायता समूहों और संगठित परिवारों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएचजी की स.	संगठित परिवार
1	आंध्र प्रदेश	8,55,600	90,75,289
2	असम	3,61,516	41,11,020
3	बिहार	10,97,100	1,27,13,428
4	छत्तीसगढ़	2,76,375	30,68,427
5	गुजरात	2,79,758	27,83,006
6	झारखंड	2,91,601	35,89,607
7	कर्नाटक	3,60,684	42,07,374
8	केरल	2,71,209	40,02,478
9	मध्य प्रदेश	4,87,291	58,29,972
10	महाराष्ट्र	6,40,719	65,25,549
11	ओडिशा	5,51,141	57,75,035
12	राजस्थान	3,21,875	38,04,161
13	तमिलनाडु	3,36,764	40,23,939
14	तेलंगाना	4,42,979	48,20,573
15	उत्तर प्रदेश	8,42,101	95,09,884
16	पश्चिम बंगाल	11,92,980	1,22,51,533
17	हरियाणा	60,301	6,29,094

18	हिमाचल प्रदेश	45,295	3,78,542
19	जम्मू एवं कश्मीर	91,445	7,97,805
20	पंजाब	52,118	5,43,246
21	उत्तराखंड	65,840	4,97,777
22	अरुणाचल प्रदेश	11,906	93,308
23	मणिपुर	11,659	1,18,734
24	मेघालय	45,312	4,44,264
25	मिजोरम	10,291	85,934
26	नागालैंड	15,419	1,35,261
27	सिक्किम	5,915	56,675
28	त्रिपुरा	51,841	4,94,675
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,294	13,194
30	गोवा	3,891	50,735
31	लद्दाख	1,807	12,618
32	लक्षद्वीप	348	4,363
33	पुदुचेरी	4,744	59,714
34	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	1,673	16,782
	कुल:	**90,90,792**	**10,05,23,996**

"एनआरएलएम के तहत एसएचजी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2591 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

बीड और शिरडी सहित जिलावार महिला स्वयं सहायता समूहों और परिवारों का विवरण

जिला	**एसएचजी**	**सदस्य**	**निर्वाचन क्षेत्र**
अहिल्यानगर	**29811**	**293612**	**शिर्डी**
अकोला	11884	129486	
अमरावती	21163	218720	
बीड	**18157**	**179175**	**बीड**
भंडारा	15063	167102	
बुलढाना	23607	232889	
चंद्रपुर	21037	220786	
छत्रपति संभाजीनगर	18069	182563	
धाराशिव	14890	150751	
धुले	14192	139747	
गढ़चिरोली	15516	156297	
गोंदिया	19257	212439	
हिंगोली	10879	114667	
जलगांव	30086	304042	
जालना	15032	152572	
कोल्हापुर	27792	277400	
लातूर	20267	204260	

नागपुर	19541	197883	
नांदेड़	18116	189496	
नंदुरबार	17503	184480	
नासिक	30010	296961	
पलघर	16150	164229	
परभनी	12260	127177	
पुणे	27066	270228	
रायगढ़	19890	196928	
रत्नागिरि	15308	161796	
सांगली	18444	182811	
सतारा	21673	216488	
सिंधुदुर्ग	10107	102461	
सोलापुर	24602	250609	
थाने	10919	111112	
वर्धा	14890	153248	
वाशिम	12021	119540	
यवतमाल	25517	263594	
	640719	**6525549**	